इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 17.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 20 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 16,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 20 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 16,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.10.2017 को जनपद मैनपुरी निवासी वादी द्वारा सुदिती ग्लोबल स्कूल के अध्यापक द्वारा उसके 04 वर्ष के नाती के साथ कुकर्म किये जाने के संबंध **में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0स0 496/17 धारा 377,506 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 ब्रजेश कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्त शशि भूषण श्रीवास्तव पुत्र शम्भू दयाल निवासी कानपुर नगर** के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 मुलायम सिंह यादव एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 17.11.2023 को अपर शत्र न्यायाधीश(स्पेशल जज पोक्सो एक्ट) कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 20 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा व 16,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **शशि भूषण श्रीवास्तव पुत्र शम्भू दयाल श्रीवास्तव निवासी थाना ग्वालटोली जनपद कानपुर नगर।**